दूरभाष : 0121-2666734
फैक्स : 0121-2666062
CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा0/स्था0/अधि0अभि0/2018-19 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगम कार्य हित में अधोलिखित अधिशासी अभियन्ता को स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्या[illegible] स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्था[illegible] तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम (अभि0सं0)/ गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री मो0 अरशद (2001225) /हरिद्वार/30.06.2027	अधिशासी अभियन्ता विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, सहारनपुर।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण ख[illegible] -द्वितीय, मुजफ्फरनगर। (नवसृजित) (रिक्त पद पर)
श्री अनुराग कटियार (अभि0 सं0: 2009104), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, मेरठ अपने [illegible] कार्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से अग्रिम आदेशों तक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, सहा[illegible] के कार्यों का भी निष्पादन बिना किसी अतिरिक्त मानदेय एवं भत्तों के करेंगे।			

2. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दि[illegible] 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
3. उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ताओं को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित [illegible] जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये। अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं0: 270-जओ0का0एवं प्र0सु0-01/पाकालि 2016-100 (1)प्र0सु0/92 दिनांक 28.03.18 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं0 10(I) एवं 10(II) में [illegible] गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं कि[illegible] जायेगा।
5. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनु[illegible] वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 8421 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा0 तद्दिनांक : 10-08-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/जानपद (वि0), मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल, मेरठ/विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मुजफ्फरनगर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/(नोडल अधिकारी), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधि0 अभि0, विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, सहारनपुर/मेरठ/विद्युत परीक्षण खण्ड-2, मुजफ्फरनगर।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0, पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उपसचिव अ0प्र0-(2ब)/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
14. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
15. संबंधित अधिकारी।
16. कम्प्यूटर अनुभाग, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
17. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल।

(राकेश कुमार)
मुख्य अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर

Scanned by CamScanner